(34)

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–377/2018

1. सुभाष
2. मोतीलाल

} पि0 किरसन जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–वादीगण

वनाम्

1. कृष्णलाल (किरसन) पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कलावती पत्नी किरसन जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. रेशमी पुत्री किरसन पत्नी औमप्रकाश
4. परमेश्वरी पुत्री किरसन पत्नी रामस्वरुप

} जाति जाट निवासी दुलमाना तह0 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोवरू हमारे बहाजरी श्री महावीर वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुभाषचन्द्र गर्ग प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चक 1 ए बारानी के खाता सं0 29/17 में कुल 2.150 है0 व इसी चक के खाता सं0 189/178 में कुल 9.362 है0 में 6.240 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा की आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक 1 ए बारानी के खाता सं0 29/17 व इसी चक के खाता सं0 189/178 में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 2.0.1.0.1.8...अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....2.0.1.0.2.0.1.8.को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner